परिशिष्ट 1 अ

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारुप //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक / /आउशि/राज स्था/ नवा रायपुर दिनांक ....एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक ...... नवा रायपुर अटल नगर दिनांक .... के अनुसार (संस्थान का नाम............) में विषय........ मे अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एव आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक ....को सायं .... बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानो के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यागजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदको को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.						
2.						

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक .... तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है । भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक ....को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि .... तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक .... को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	**40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	**60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	**दैनिक मानदेय**		
5	**विवरण**	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि कीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस **न्यूनतम** 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/–प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य, ... एवं आवेदित विषय/पद आवशयक रुप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

प्राचार्य
PRINCIPAL
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय Govt. L.C.S. College ....
जिला Ambagarh Chowki (C.G.) ....

शपथपत्र

(50 रुपये के गैर–न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं.. पिता .... उम्र .... वर्ष रहवासी ....एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे ....विश्वविद्यालय की .... अध्ययनशाला/महाविद्यालय .... जिला ....के .... विषय के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा सकता है –

1. मैं छत्तीसगढ राज्य का/की मूल निवासी हूं/नहीं हूं।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीयध्अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालयध्महाविद्यालय में शिकायतध्कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्ते मुझे मान्य है।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

1.
2.

कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी
अम्बागढ़ चौकी, जिला :– मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

क्रमांक ..18...../स्था./2024 चिल्हाटी, दिनांक 15/07/2024

अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी सहायक हेतु विज्ञापन

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06/07/2024 के आदेशानुसार सहायक प्राध्यापक /ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार आवेदन अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 22/07/2024 तक संध्या 5.00 बजे तक डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है, उनका आवेदन अतिथि व्याख्याता की प्रावीण्यता सूची में शामिल किया जायेगा। उपरोक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। संपूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति 2024" के परिपालन में किया जायेगा । अतिथि व्याख्याता नीति – 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के वेबसाईट www.lcscollege.in से किया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

रिक्त पदो का विवरण

क्र	विषय	प्राध्यापक पद के विरुद्ध	सहायक प्राध्यापक के पद विरुद्ध	कुल पदों की संख्या
1	वनस्पति शास्त्र	–	01	01
2	प्राणी शास्त्र	–	01	01
3	अतिथि ग्रंथपाल	–	01	01
4	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी	–	01	01
योग				04

टीपः– रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन संभव है।

(डॉ.के.आर. मंडावी)
प्रभारी प्राचार्य
नवीन शास.महा.चिल्हाटी